

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत क्यारी कचटा मार्ग से मैहसासा तक मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रतिवेदन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक :- 2658/III(2)/06-17(प्रा0आ0)/2006 दिनांक 25/09/2006 द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग 2.500 कि०मी० हेतु योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृत ल० 2.50 कि० मी है परन्तु प्रस्तावित मोटर मार्ग (सबमरजेंस के कि० मी० 18 से मैहसास तक 4.00 कि० मी० लम्बाई में) स्वीकृत होने से इस मार्ग की ल० घटकर 1.50 कि० मी० रह गई है तथा इसका सयुक्त निरीक्षण भी 1.50 कि० मी० लम्बाई में किया गया है।

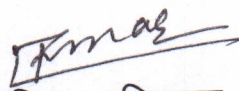
अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

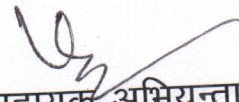
उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 0.997 है०, सिविल सोयम भूमि 0.053 है० एवं वन पंचायत भूमि 0.000 है०, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि 0.000 है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है। तथा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु वृक्षों की गणना 7 मीटर में की गई है जो की वास्तविक रूप से पातन किये जाने है। मोटर मार्ग का निर्माण 6 मीटर में होना प्रस्तावित है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

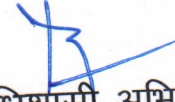
संरेखण नं० 1 :- के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड कालसी के अन्तर्गत ग्राम क्यारी -कच्चा मार्ग से मैहसासा मोटर मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु प्रस्तावित लख्यार -लुधेरा क्यारी कच्चा के कि० मी० 2 से प्रारम्भ होता है। इस संरेखण में एक हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। इस संरेखण में अधिकतर वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त बीच- बीच में सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते हैं तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।

संरेखण नं० 2 :- यह मार्ग लख्यार -लुधेरा क्यारी कच्चा के कि० मी० 2 से प्रारम्भ होता है। इस समरेखण में क्रम: +17-18+17+20 लेवल ग्रेड दिये गये हैं, इस समरेखण में 2 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं, तथा ल० 2.00 कि०मी० है। इस समरेखण से स्थानीय जनता असहमत है, चूँकि समरेखण की ल० अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनीकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांववासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं० 2 को निरस्त कर संरेखण नं० 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं० 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 1.50 कि०मी० लम्बाई में लो०नि०वि० के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई तथा ल० 75.00 में आने वाली सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि 0.053 है० लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया


सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया


अधिशाली अभियन्ता
अ० खण्ड,
लो०नि०वि०, सहिया